न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./124/2022/बाड़मेर

अपीलांटस **रेस्पोडेंटगण**

सुरताराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी जाटो का बेरा सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. निम्बाराम पुत्र धनाराम 2. पूनमाराम पुत्र धनाराम 3. गुणेशाराम पुत्र धनाराम 4. खुमाराम पुत्र धनाराम 5. भगाराम पुत्र मालाराम 6. कानाराम पुत्र मालाराम 7. प्रकाश पुत्र मालाराम 8. मानाराम पुत्र मालाराम 9. पारू पत्नी मालाराम 10. रेखाराम पुत्र उदाराम 11. भारमलराम पुत्र उदाराम 12. रामू बेवा उदाराम (विलोपित) जाति जाट निवासी जाटो का बेरा सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 13. तहसीलदार चौहटन हाल तहसील सेड़वा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 107/2011 बउनवान धनाराम बनाम मालाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्रकुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हितेशकुमार गोयल उतरदाता संख्या 05 से 09 व 11 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—01.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता स्वर्गीय रामचन्द्र तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 के पिता स्वर्गीय उदाराम अपास में सगे भाई हैं। तीनों भाईयों ने मिलकर संयुक्त रूप से खेत खसरा संख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

165/18 रकबा 45.19 बीघा ग्राम मदावा तहसील चौहटन में संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र क्रय किया है। वक्त खरीद से संयुक्त कब्जे काश्त में चला आ रहा है। वर्तमान में खातेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाने तथा उक्त विवादित खेत के सेढ़े पर सड़क बनने से एवं जमीन की कीमतें बढ जाने से तथा विधिवत बंटवारे के अभाव में वादी के 1/3 हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण हस्तक्षेप करने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में वादी अपने 1/3 हिस्से का अंकन करवाते हुए अपने हिस्से की 1/3 भाग की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स अलग करवाने का अधिकारी है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर विधिवत रूप से अपीलांट से तामील नहीं करवायी गयी है। अपीलांटस वादग्रस्त खेत में रेकर्डेड खातेदार हैं तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आनन फानन में निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित किया गया वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई उसे तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गई तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किये बिना केवल मात्र पटवारी हल्का ने वादीगण के प्रभाव में आकर विधि विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो विधि के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत नहीं है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल)

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उतरदाता संख्या 05 से 09 व 11 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस व हम उतरदातागण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को रिमांड किया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर निर्णय पारित करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांटस ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलांटस को एकतरफा निर्णय व डिक्री की दिनांक 14.03.2015 की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 31.03.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 सी पी सी का प्रस्तुत किया गया जो आवेदन अपीलकर्ता के वकील की गैर हाजरी में दिनांक 06.12.2017 को खारिज कर दिया गया व इस आवेदन को पुनः बरामद कराने के लिए आवेदन दिनांक 28.09.2022 को खारिज करते हुए आदेश पारित किया कि राजस्व वाद संख्या 107/2011 में पारित फाईनल निर्णय दिनांक 14.03.2015 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत किया था जबकि इनको फाईनल निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी थी तो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष करनी चाहिये परन्तु उनके द्वारा पुनः इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया। इस कारण यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर शुमार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांटस की धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदु पर करने की बजाय गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना विधि सम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पाया गया कि आदेशिका दिनांक 07.08.2012 के अनुसार उप तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। हस्तगत प्रकरण में मौका कमिश्नर उप तहसीलदार सेड़वा को नियुक्त किया गया जबकि उप तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया तथा अपने अधिकार को आगे अपने से निम्न रैंक के कर्मचारियों को अपने पॉवर डेलिगेट किये। बंटवारे के मामले में कमिश्नर स्वयं द्वारा मौका मुआयना किया जाना आज्ञापक प्रावधान है जिसका पालन हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री पारित की गई उसे एकतरफा तैयार किया गया। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 107/2011 बउनवान धनाराम बनाम मालाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.03.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय तीन माह की अवधि में पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

1/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर